

विविध बैंक प्रकरण सं० 10/2017 (RCMS 2017/00022) केनरा बैंक, न्यू धान मण्डी रोड, श्रीगंगानगर बनाम 1 मैसर्स धनानिया ज्वेलर्स-प्रो. प्रवीन कुमार अग्रवाल, दुकान नं. 156 द्वितीय तल, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर -335001 2. प्रवीन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मांगत राई अग्रवाल फ्लेट न.ए-102, प्रथम तल, रिद्धी सिद्धी एन्कलेव, हनुमानगढ रोड, श्रीगंगानगर 3. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मगत राई अग्रवाल, मकान नं. 551, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर

02.02.2021



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2017 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. धनानिया ज्वेलर्स - प्रो. प्रवीन कुमार अग्रवाल, प्रवीन कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल को ऋण सुविधा के रूप में 75.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये पच्चहत्तर लाख मात्र) का ऋण दिनांक 11.09.2014/06.10.2015 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रवीन कुमार अग्रवाल की सम्पत्ति Prime : Hypothecation of stock of Gold and Silver Jewellery buillions, machinery lying in the Shop No. 156[2nd Floor. Jewahar Market, Sriganganagar and book debts. and Flat No. A 102, First Floor. Constructed on Plot No. G 1-2 and G 2-3 Size 820 Sq. Feet (Built Up Area. Situated at Chack No. 7 E Chhoti, Sq. No. 27, Killa No. 9, 10, 11 now known as Ridhi Sidhi Enclave, Hanumangarh Road, Sriganganagar में स्थित प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 20.02.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (QR Code) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.05.2016 को

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

78.42.989/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 22.04.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 27.04.2016 को भिजवाये गये है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी प्रवीन कुमार अग्रवाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पत्ति Prime : Hypothecation of stock of Gold and Silver Jewellery buillions, machinery lying in the Shop No. 156[2nd Floor. Jewahar Market, Sriganganagar and book debts. and Flat No. A 102, First Floor, Constructed on Plot No. G 1-2 and G 2-3 Size 820 Sq. Feet (Built Up Area, Siturated at Chack No. 7 E Chhoti, Sq. No. 27, Killa No. 9, 10, 11 now known as Ridhi Sidhi Enclave, Hanumangarh Road, Sriganganagar का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मै. धनानिया ज्वेलर्स - प्रो. प्रवीन कुमार अग्रवाल, प्रवीन कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल को 75.00/- लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चहत्तर लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.09.2014/06.10.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रवीन कुमार अग्रवाल की उक्त सम्पत्ति Prime : Hypothecation of stock of Gold and Silver Jewellery buillions, machinery lying in the Shop No. 156[2nd Floor. Jewahar Market, Sriganganagar and book debts. and Flat No. A 102, First Floor, Constructed on Plot No. G 1-2 and G 2-3 Size 820 Sq. Feet (Built Up Area, Siturated at Chack No. 7 E



जिला मजिस्ट्रेट
श्री बंगानगर

Chhoti, Sq. No. 27, Killa No. 9, 10, 11 now known as Ridhi Sidhi Enclave, Hanumangarh Road, Sriganganagar जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 20.02.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.04.2016 को जारी करने तथा दिनांक 27.04.2016 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी प्रवीन कुमार अग्रवाल की प्राप्ति रसीद तो पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु शेष अप्रार्थीगण मै. धनानिया ज्वैलर्स एवं दीपक अग्रवाल की पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणियों/गारंटर/जमानतदारों को धारा 13(2) की विधिवत् तामील होनी आवश्यक है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पत्ति Prime : Hypothecation of stock of Gold and Silver Jewellery buillions, machinery lying in the Shop No. 156[2nd Floor, Jewahar Market, Sriganganagar and book debts. and Flat No. A 102, First Floor, Constructed on Plot No. G 1-2 and G 2-3 Size 820 Sq. Feet (Built Up Area, Situated at Chack No. 7 E Chhoti, Sq. No. 27, Killa No. 9,10

II now known as Ridhi Sidhi Enclave, Hanumangarh Road, Sriganganagar जो ऋणी प्रवीन कुमार अग्रवाल के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.02.2016 की तामील का प्रश्न है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.02.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण में धनानिया ज्वेलर्स - प्रो. प्रवीन कुमार अग्रवाल, प्रवीन कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.04.2016 को जारी किये गये है, जिनको भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीदें रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। प्रवीन कुमार अग्रवाल को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु शेष अप्रार्थीगण में धनानिया ज्वैलर्स एवं दीपक अग्रवाल की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण मैसर्स धनानिया ज्वेलर्स एवं दीपक अग्रवाल को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है। जबकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स धनानिया ज्वैलर्स एवं दीपक अग्रवाल को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होनी आवश्यक थी। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी केनरा बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2017 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की पुनः विधिवत् तामील करवाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महवीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर